कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 741 / FP/UK/ROAD/29012/2017 देहरादूनः दिनांकः 13 सितंबर, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में राईआगर–चौडमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु–4.661है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
FP/UK/ROAD/29012/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः **जनपद पिथौरागढ़ में राईआगर–चौडमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/29012/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट (पिथौरागढ़)।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद–पिथौरागढ़ में राईआगर–चौडमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु–4.661हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

FP/UK/ROAD/29012/2017

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)ः

उपरोक्त योजना हेतु पिथौरागढ वन प्रभाग में 4.491 है0 सिविल सोयम एवं 0.17 हे0 पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 4.661 हे0 का वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद पिथौरागढ़ में राईआगर–चौडमन्या मोटर मार्ग किमी0 2.00 से भूलकी अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक

सरकारी मोहरः

तिथि : 13 / 09 / 2018

स्थान : देहरादून